हरकेश मनुजा जे. के समक्ष

चोलामंडलम एम. एस. जनरल. बीमा कंपनी लिमिटेड -

अपीलार्थी बनाम

प्रबंधक सिंह और एक अन्य-2022 का उत्तरदाता एफ. ए. ओ. संख्या 3623 (ओ. एंड. एम.) और 5 अन्य

05 दिसंबर, 2022

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-धारा 21 (1)-प्रादेशिक क्षेत्राधिकार-न्यायाधिकरण के समक्ष बीमा कंपनी द्वारा नहीं ली गई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के बारे में आपत्ति और न ही इस संबंध में दबाव डाला गया मुद्दा, इस पहलू पर न्यायाधिकरण द्वारा कोई चर्चा या निष्कर्ष नहीं है-प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुरस्कार को चुनौती देते हुए आयोजित, विद्वत न्यायाधिकरण के समक्ष लिया गया ऐसा कोई आधार नहीं होने पर, अपील के चरण में मालिक/चालक को इसकी व्याख्या करने का मौका दिए जाने के अभाव में खारिज किया जा सकता है।

माना जाता है कि मालिक के पते के परिवर्तन के संबंध में अतिरिक्त आपत्ति भी यह दिखाने के लिए ली गई है कि दावा याचिकाएं दावेदारों और उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक/चालक के बीच मिलीभगत का मामला था।हालांकि, एक व्यक्ति के लिए अपना पता बदलने के कई कारण हो सकते हैं और केवल पते में बदलाव के आधार पर, वह भी दो साल की अवधि में, जो कि काफी बड़ी अवधि है, इतना असंभव नहीं है कि यह दावेदारों के मामले में कोई गंभीर संदेह पैदा कर सके।यदि यह याचिका विद्वत न्यायाधिकरण के समक्ष उठाई गई होती और इस संबंध में मुद्दा तैयार किया गया होता, तो चालक/मालिक के लिए उचित स्पष्टीकरण देना अनिवार्य होता।

(पैरा 25)

पुनित जैन, अधिवक्ता, अपीलार्थी/बीमा कंपनी के लिए।

अरविंद राजोतिया, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं/दावेदारों के लिए।

हरकेश मनुजा, जे।

(1) यह एक आवेदन है जिसमें अपील को फिर से दायर करने में 32 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की गई है।

(2) आवेदन में उल्लिखित कारणों के लिए, जो एक हलफनामे द्वारा समर्थित है, चोलामंडलम एमएस जनरल. इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड से आवश्यक दस्तावेजों की व्यवस्था करने के कारण देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया है। निचली अदालत और सभी संबंधित मामलों के समूह, इस प्रकार, इसकी अनुमति है और अपील को फिर से दायर करने में 32 दिनों की देरी को माफ कर दिया जाता है।

एफएओ-4976-2022 में सीएम-16162-सीआईआई-2022:

चोलामंडलम एमएस जनरल. इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड 41

बनाम. प्रबंधक सिंह और एक और (हरकेश मनुजा, जे.)

(3) यह एक आवेदन है जिसमें पुनः अपील दायर करने में 114 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की गई है।

(4) आवेदन में उल्लिखित कारणों के लिए, जो एक हलफनामे द्वारा समर्थित है, अपीलार्थी के वकील के खराब स्वास्थ्य के कारण देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया है, इस प्रकार, इसकी अनुमति है और अपील को फिर से दायर करने में 114 दिनों की देरी को माफ कर दिया जाता है।

एफएओ-3635-2022 में सीएम-10780-सीआईआई-2022:

(5) यह एक आवेदन है जिसमें अपील दायर करने में 22 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की गई है।

(6) आवेदन में उल्लिखित कारणों के लिए, जो एक हलफनामे द्वारा समर्थित है, रुपये की वैधानिक जमा राशि 25,000 जमा करने में आई. टी. त्रुटि के कारण देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया है। और सभी संबंधित मामलों को एक साथ रखने की अनुमति है और अपील दायर करने में 22 दिनों की देरी को माफ कर दिया जाता है।

एफ. ए. ओ.-3632-2022 में सीएम-10774-सी. आई. आई.-2022:

(7) यह एक आवेदन है जिसमें अपील दायर करने में 22 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की गई है।

(8) आवेदन में उल्लिखित कारणों के लिए, जो एक हलफनामे द्वारा समर्थित है, रुपये की वैधानिक जमा राशि जमा करने में आई. टी. त्रुटि के कारण देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया है। 25, 000/- और सभी संबंधित मामलों को एक साथ रखने की अनुमति है और अपील दायर करने में 22 दिनों की देरी को माफ कर दिया जाता है।

एफ. ए. ओ.-3625-2022 में सीएम-10741-सी. आई. आई.-2022:

(9) यह एक आवेदन है जिसमें अपील दायर करने में 63 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की गई है।

(10) आवेदन में उल्लिखित कारणों के लिए, जो एक हलफनामे द्वारा समर्थित है, रुपये की वैधानिक जमा राशि जमा करने में आई. टी. त्रुटि के कारण देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया है। 25, 000/- और सभी संबंधित मामलों का समूह, इस प्रकार, इसकी अनुमति है और अपील दायर करने में 63 दिनों की देरी है। माफ कर दिया।

एफएओ-4978-2022 में सीएम-16176-सीआईआई-2022:

(11) यह एक आवेदन है जिसमें अपील दायर करने में 34 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की गई है।

(12) आवेदन में उल्लिखित कारणों के लिए, जो एक हलफनामे द्वारा समर्थित है, वकील की बीमारी के कारण देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया है, इस प्रकार, इसकी अनुमति है और अपील दायर करने में 34 दिनों की देरी को माफ कर दिया जाता है।

एफ. ए. ओ.-3623-2022 में सीएम-10706-सी. आई. आई.-2022:

(13) यह एक आवेदन है जिसमें अपील दायर करने में 3 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की गई है।

(14) आवेदन में उल्लिखित कारणों के लिए, जो एक हलफनामे द्वारा समर्थित है, रुपये जमा करने में आई. टी. त्रुटि के कारण देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया है। 25, 000/-, इस प्रकार, इसकी अनुमति है और अपील दायर करने में 3 दिनों की देरी को माफ कर दिया जाता है।

एफ. ए. ओ.-4976-2022 में सीएम-16163-सी. आई. आई.-2022:

(15) यह एक आवेदन है जिसमें अपील दायर करने में 05 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की गई है।

(16) आवेदन में उल्लिखित कारणों के लिए, जो एक हलफनामे द्वारा समर्थित है, संबंधित मामलों के साथ जुड़ाव और विभाग के भीतर संचार में देरी के कारण देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया है, इस प्रकार, इसकी अनुमति है और अपील दायर करने में 3 दिनों की देरी को माफ कर दिया जाता है।

<u>मुख्य मामला:</u>

(17) ये सभी अपीलें बीमा कंपनी द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, फतेहगढ़ साहिब (इसके बाद विद्वान न्यायाधिकरण के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित पुरस्कारों को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं जो दिनांक 12.03.2011 की एकल दुर्घटना से उत्पन्न हुए हैं।

(18) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 12.03.2011 पर लवजीत सिंह उर्फ हैप्पी, जगदेव सिंह उर्फ जग्गी, चेतन सक्सेना, नवदीप सिंह और मनिंदर सिंह एक शादी समारोह में भाग लेकर लौट रहे थे, जब उनकी कार को पंजीकरण संख्या वाले ट्रक/कैंटर ने टक्कर मार दी। पीबी-11-वाई-8948 (इसके बाद अपमानजनक वाहन के रूप में संदर्भित)।इस दुर्घटना में जगदेव सिंह उर्फ जग्गी और चेतन सक्सेना की मौत हो गई, जबकि लवजीत सिंह उर्फ हैप्पी, नवदीप सिंह और मनिंदर सिंह घायल हो गए।

चोलामंडलम एमएस जनरल. इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम 43

प्रबंधक सिंह और एक और (हरकेश मनुजा, जे.)

(19) सभी प्रभावित व्यक्तियों की ओर से कई दावा याचिकाएं दायर की गईं, जिन्हें विद्वान न्यायाधिकरण ने यह मानते हुए अनुमति दी कि दुर्घटना चालक/मालिक अवतार सिंह की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी।देयता के मुद्दे पर, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उल्लंघन करने वाले वाहन का चालक/मालिक और बीमा कंपनी दोनों संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

(20) बीमा कंपनी ने वर्तमान अपीलों के माध्यम से, मुख्य रूप से क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित सभी पुरस्कारों को चुनौती दी है और इसके अलावा उसने अपने मालिक/चालक के साथ मिलीभगत में उल्लंघन करने वाले वाहन की झूठी संलिप्तता की याचिका भी उठाई है, हालांकि व्यक्तिगत अपीलों में अलग-अलग कुछ अन्य तर्क भी उठाए गए हैं।अतः विचारणीयता के प्रश्न पर, इन सभी अपीलों को एक साथ लिया जाएगा और विशिष्ट अपील में उठाए गए व्यक्तिगत तर्कों को अलग से लिया जाएगा।

ए-दायित्व की निरंतरता/गतिःएफएओ-3623-2022 (ओ एंड एम):

एफएओ-3632-2022 (ओ एंड एम):एफएओ-3635-2022 (ओ एंड एम):एफएओ-3625-2022 (ओ एंड एम):एफएओ-4978-2022 (ओ एंड एम):

और एफएओ-4976-2022 (ओ एंड एम):

(21) बीमा कंपनी के लिए विद्वान वकील द्वारा पहला तर्क विद्वान न्यायाधिकरण के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में है।उनका तर्क है कि न तो दावेदार, न ही प्रतिवादी चालक/मालिक फतेहगढ़ साहिब के निवासी थे और यहां तक कि दुर्घटना स्थल भी फतेहगढ़ साहिब में नहीं था, इसलिए, विद्वान न्यायाधिकरण के पास दावा याचिका पर निर्णय लेने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था।उनका दूसरा निवेदन यह रहा है कि दावा याचिकाएं धोखाधड़ी का परिणाम थीं, और इस संबंध में वह प्रस्तुत करते हैं कि उल्लंघन करने वाला वाहन भी एम. ए. सी. टी., रूपनगर के समक्ष एक अन्य दावा याचिका में शामिल था और उस दावा याचिका में चालक/मालिक का पता रूपनगर में दिखाया गया था, जबकि वर्तमान दावा याचिकाओं में, उसका पता पटियाला में दिखाया गया है और उसे बदलने के लिए उसकी ओर से कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं आया है, यहां तक कि दावेदारों और चालक/मालिक के बीच मिलीभगत की याचिका भी उठाई गई है।

(22) कॉन्ट्रा के अनुसार, दावेदारों के विद्वान वकील का तर्क है कि बीमा कंपनी द्वारा लिखित बयान में विद्वत न्यायाधिकरण के समक्ष क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में आपत्ति नहीं ली गई थी और न ही इस संबंध में कोई मुद्दा उठाया गया था, इसलिए इसे इस स्तर पर नहीं लिया जा सकता है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि एक अन्य दावा याचिका में चालक/मालिक के अलग-अलग पतों के बारे में आपत्ति भी विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं उठाई गई थी, अन्यथा उनके द्वारा इसे समझाया जा सकता था।

(23) मैंने दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और मामलों की कागजी पुस्तिका का अध्ययन किया है।विवादित निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि बीमा कंपनी द्वारा अपने लिखित बयान में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में ऐसी कोई याचिका नहीं ली गई थी और न ही इस आशय का कोई मुद्दा तैयार किया गया था, यहां तक कि इस पहलू पर विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा भी कोई चर्चा या निष्कर्ष नहीं है।मुझे दावेदारों के लिए

विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क में बल मिलता है कि चूंकि बीमा कंपनी द्वारा विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बारे में कोई आपत्ति नहीं ली गई थी, इसलिए इस स्तर पर इस आपत्ति को लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और अन्यथा भी, अपीलार्थी/बीमा कंपनी का पता फतेहगढ़ साहिब का है।यद्यपि विद्वत न्यायाधिकरण ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करने का हकदार है जो वह उचित समझता है, तथापि, सामान्य रूप से, इसकी प्रक्रिया और शक्तियां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा शासित होती हैं और धारा 21 (1) को देखते हुए भी, अपीलकर्ता बीमा कंपनी को इस स्तर पर यह आपत्ति लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि उन्होंने इस आपत्ति को न्यायाधिकरण के समक्ष जल्द से जल्द संभव अवसर पर नहीं लिया था और वे यह दिखाने में सक्षम नहीं हैं कि क्या उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा किया गया है या न्याय की विफलता हुई है।इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जा सकता है

मंटू सरकार बनाम ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य

2007 की सिविल अपील संख्या 7318 ने 16.12.2008 पर निर्णय लिया जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा किः

“17. न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय के अधीनस्थ एक न्यायालय है।न्यायाधिकरण के खिलाफ एक अपील उच्च न्यायालय के समक्ष है।उच्च न्यायालय, अपनी अपीलीय शक्ति का प्रयोग करते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित या उसके समान प्रावधानों का पालन करेगा।सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 की उप-धारा (1) को ध्यान में रखते हुए, इसलिए, अपीलीय न्यायालय की ओर से यह अनिवार्य था कि वह अपने सामने सही प्रश्न रखे, अर्थात।, क्या पहला प्रत्यर्थी किसी पूर्वाग्रह की पीड़ा दिखाने में सक्षम रहा है।यदि उसे कोई पूर्वाग्रह नहीं झेलना पड़ा है या अन्यथा न्याय की कोई विफलता नहीं हुई है, तो उच्च न्यायालय को केवल उसी आधार पर अपील।”

चोलामंडलम एम. एस. जनरल. इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड बनाम. 45

प्रबंधकसिंह और एक और (हरकेश मनुजा, जे.)

(24) इसलिए, मेरी सुविचारित राय में, बीमा कंपनी द्वारा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित सभी पुरस्कारों को चुनौती देना असमर्थनीय है।

(25) अपीलकर्ता बीमा कंपनी की दूसरी याचिका के संबंध में कि चूंकि किसी पिछली दावा याचिका में उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक का पता अलग था, इसलिए दावा याचिकाएं धोखाधड़ी का परिणाम थीं, मुझे ज्यादा सार नहीं मिलता है।एक अन्य दुर्घटना में अपराधी वाहन की संलिप्तता का मुद्दा विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष भी उठाया गया था, लेकिन विद्वान न्यायाधिकरण ने इस पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उसने पाया कि इस मामले में तुरंत प्राथमिकी दर्ज की गई थी और प्राथमिकी में उल्लंघन करने वाले वाहन की पंजीकरण संख्या का भी उल्लेख किया गया था, जिसकी पुष्टि जांच अधिकारी के बयान से भी हुई थी।इस स्तर पर, मालिक के पते के परिवर्तन के संबंध में अतिरिक्त आपत्ति यह दिखाने के लिए भी ली गई है कि दावा याचिकाएं दावेदारों और उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक/चालक के बीच मिलीभगत का मामला था। हालांकि, एक व्यक्ति के लिए अपना पता बदलने के कई कारण हो सकते हैं और केवल पते में बदलाव के आधार पर, वह भी दो साल की अवधि में, जो कि काफी बड़ी अवधि है, इतना असंभव नहीं है कि यह दावेदारों के मामले में कोई गंभीर संदेह पैदा कर सके। यदि यह याचिका विद्वत न्यायाधिकरण के समक्ष उठाई गई होती और इस संबंध में मुद्दा तैयार किया गया होता, तो चालक/मालिक के लिए उचित स्पष्टीकरण देना अनिवार्य होता।लेकिन, विद्वत न्यायाधिकरण के समक्ष इस तरह के किसी भी आधार के अभाव में, बीमा कंपनी द्वारा इस स्तर पर लिया गया यह तर्क, मालिक/चालक को इसकी व्याख्या करने का मौका दिए जाने के अभाव में खारिज किया जा सकता है।

(26) ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, बीमा कंपनी द्वारा रखरखाव/देयता के पहलू पर दायर सभी अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

विशेष अनुप्रयोगों में बी-विषय-वस्तुएँःएफएओ-4978-2022 (ओ एंड एम)

(27) विद्वत न्यायाधिकरण ने प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रदान किया, हालांकि यह निर्दिष्ट किया कि यदि दावेदारों के पक्ष में दिए गए मुआवजे की राशि का भुगतान पुरस्कार की तारीख से 2 महीने के भीतर नहीं किया जाता है, तो दावेदार प्रति वर्ष @9% ब्याज का दावा करने के हकदार होंगे।

(28) बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने भी इस पहलू पर आपत्ति जताई है और तर्क दिया है कि राष्ट्रीय को देखते हुए **बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम केशव बहादुर और अन्य 1, दंडात्मक ब्याज**दर नहीं दी जा सकती है।उपरोक्त निर्णय बाद में दिया गया हैइसके बाद इस अदालत ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड चंडीगढ़ बनाम बरिंदर सिंह और अन्य के एफ. ए. ओ. संख्या 9186 में2014 साथ ही।इसलिए, केशव बहादुर के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए, विद्वत न्यायाधिकरण ने 2 महीने के भीतर मुआवजे का भुगतान नहीं करने पर बढ़ी हुई ब्याज दर की शर्त निर्दिष्ट करते हुए गलती की है।

(29) हालाँकि, प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज का अनुदान केवल वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नहीं है; अन्य दावा याचिकाओं की तरह यह प्रति वर्ष 7.5 प्रतिशत रहा है, इस मामले में भी दावा याचिका की स्थापना की तारीख से इसकी प्राप्ति तक दावेदारों को दिए गए मुआवजे की राशि पर ब्याज दर को बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया है।

एफएओ-3625-2022 (ओ एंड एम)

(30) बीमा कंपनी के विद्वान वकील का तर्क है कि इस मामले में, मृतक द्वारा दायर अंतिम आयकर रिटर्न के आधार पर, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा उनकी वार्षिक आय रु। 4,71,400-प्रति वर्ष।वह आगे प्रस्तुत करता है कि रुपये की सीमा के बाद प्रासंगिक अवधि में। 25 लाख प्रति वर्ष, 5 प्रतिशत आयकर लागू था और इसलिए, देय आयकर को उसकी वार्षिक आय से काट लिया जाना चाहिए था।

(31) बीमा कंपनी के विद्वान वकील के इस तर्क में मुझे इस खाते पर और यहां तक कि श्रीमती में भी बल मिलता है। सरला वर्मा औरअन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य 2, यह हुआ है और कहा गया है कि आयकर जैसी वैधानिक कटौती मृतक की आय में से कटौती के लिए उत्तरदायी है।अतः विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित वार्षिक आय में से 5 प्रतिशत की कटौती के बाद मुआवजे की गणना की जाएगी। हालांकि, मुआवजे की गणना करते समय ऐसा प्रतीत होता है कि क्रम संख्या (ii) में

लिपिकीय गलती के कारण, विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा आय को गलत तरीके से Rs.39,284/- के स्थान पर Rs.32,984/- के रूप में लिया गया था और इसमें स्पष्ट रूप से सुधार की आवश्यकता होगी।

1 2004(2) आरसीआर सिविल 99

2 2009 (3) आर. सी. आर. (सिविल) 77

चोलामंडलम एम. एस. जनरल. बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रबंधक 47

सिंह और एक और (हरकेश मनुजा, जे.)

(32) ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, दावेदार निम्नलिखित मुआवजे के हकदार हैं, जैसा कि तालिका में विस्तृत है:-

Sr.No।	विशिष्टताएँ	राशि (रु.)
1	5 प्रतिशत कटौती के बाद मृतक की वार्षिक आय (रु। 4,71,400--23,570/- रुपये)	रुपये. 4,47,830 -
2	भविष्य की संभावनाओं में 40 प्रतिशत जोड़ें	रुपये. 1,79,132 -
3	कुल आय	रुपये. 6,26,962 -
4	कटौती के बाद आय (1/3)	रुपये. 4,17,974 -
5	16 का गुणक	Rs.66,87,584/-
6	अंतिम संस्कार का खर्च	Rs.16,500/-
7	कंसोर्टियम का नुकसान अर्थात Rs.44000 x3	रुपये. 1,32,000 -
8	संपत्ति का नुकसान	Rs.16,500/-
	कुल मुआवजा	Rs.68,52,584/-
	न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राशि	Rs.63,98,280/-
	बढ़ी हुई राशि	Rs.04,54,304/-

(33) इन सभी अपीलों का आगे के निर्देश के साथ उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है कि अपील दायर करने के समय बीमा कंपनी द्वारा जमा की गई वैधानिक राशि

को विद्वान न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया जाएगा, जिसे दावेदारों के पक्ष में जारी किया जाएगा।

(34) लंबित विविध आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

अंकित ग्रेवाल

रीतू सिंगला

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।